न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 14/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/50

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार | श्री दिलीप गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** की जांच दिनांक 10.11.2022 को श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा की गई। मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गौदाम में 135.66 क्विं. गेहूँ वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाधान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। मौका जांच में मौके पर उपस्थित 31 उपभोक्ताओ के राशनकार्ड की जांच तथा उनके बयान अनुसार डीलर द्वारा माह अक्टूबर 2022 में केवल खाध सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाधान्न का ही वितरण किया गया। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओ को निःशूल्क वितरण किया जाने वाला गेहूँ उपभोक्ताओ में वितरण नही किया गया एवं डीलर द्वारा उपभोक्ताओ के पोस मशीन में अंगुठा लगवाकर गेहूँ नही देकर उक्त गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा [illegible] 2022 पेटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 135.66 क्विं. गेहूँ उपभोक्ताओ में वितरण नहीं कर [illegible] एवं [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 21.03.2023 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र 488/1996 निरस्त किया गया साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204 का कुल 135.66 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। कुल 135.66 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 366282/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 366282/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.08.2024 को श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में मुख्य रुप से उल्लेख किया कि प्रार्थी के खिलाफ प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा दिनांक 07.11.2022 को डीलर के यहाँ जांच की गई थी। जिसमे गेहूँ के गमन के बारे में बताया गया था। इसके बाद इस सम्बन्ध में प्रार्थी डीलर के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक प्राथमिकी संख्या 369/2022 दिनांक 28.11.2022 को दर्ज करवायी गई थी। उक्त मामले में उपलब्ध साक्ष्यो से अदम वाकुवा मामला झुठ का पाये जाने से मामले हाजा मं एफ. आर. नं. 12 दिनांक 09.02.2024 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मार्फत ए.पी.पी के थाना प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना सदर बांसवाडा द्वारा एफ.आर. पेश की गयी है। इसके बाद प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस मामले में आगे कोई भी कार्यवाही नही की गई है। प्रार्थी के खिलाफ उक्त मामला 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का झुठा पाये जाने की वजह से उक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पी.डी.आर एक्ट 1952 में दिये गये नोटिस धारा 4 जो प्रमाण पत्र फार्म नं. 2 में दी गई राशि रुपया 366282 प्राप्त करने के हकदार नही है। अतः उक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पी.डी.आर एक्ट 1952 ड्रॉप करने की कार्यवाही फरमावे।

दिनांक 10.01.2025 व 12.02.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** की जांच दिनांक 10.11.2022 को श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:21 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा की गई। मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गौदाम में 135.66 क्विं. गेहूँ वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाधान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। मौका जांच में मौके पर उपस्थित 31 उपभोक्ताओ के राशनकार्ड की जांच तथा उनके बयान अनुसार डीलर द्वारा माह अक्टूबर 2022 में केवल खाध सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाधान्न का ही वितरण किया गया। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओ को निःशूल्क वितरण किया जाने वाला गेहूँ उपभोक्ताओ में वितरण नही किया गया एवं डीलर द्वारा उपभोक्ताओ के पोस मशीन में अंगूठा लगवाकर गेहूँ नही देकर उक्त गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा माह सितंबर 2022 पेटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 135.66 क्विं. गेहूँ उपभोक्ताओ में वितरण नही कर दुरुपयोग एवं गबन किया गया है। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 21.03.2023 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र 488/1996 निरस्त किया गया साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में एफ.आर. की प्रति पेश की है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नही किया है न इस प्रकरण में कोई निषेधाज्ञा है

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204 का कुल 135.66 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। कुल 135.66 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 366282/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के खिलाफ प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा दिनांक 07.11.2022 को डीलर के यहाँ जांच की गई थी। जिसमे गेहूँ के गमन के बारे में बताया गया था। इसके बाद इस सम्बन्ध में अप्रार्थी डीलर के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक प्राथमिकी संख्या 601/2022 दिनांक 28.11.2022 को दर्ज करवायी गई थी। उक्त मामले में उपलब्ध साक्ष्यो से अपराध [illegible] जाने से मामले हाजा में एफ.आर. नं. 12 दिनांक 09.02.2024 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मार्फत ए.पी.पी के थाना प्रभारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिकारी पुलिस थाना सदर बांसवाडा द्वारा एफ.आर. पेश की गयी है। इसके बाद प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस मामले में आगे कोई भी कार्यवाही नही की गई है। अप्रार्थी के खिलाफ उक्त मामला 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का झुठा पाये जाने की वजह से उक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पी.डी.आर एक्ट 1952 में दिये गये नोटिस धारा 4 जो प्रमाण पत्र फार्म नं. 2 में दी गई राशि रुपया 366282 प्राप्त करने के हकदार नही है। अतः उक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पी.डी.आर एक्ट 1952 ड्रॉप करने की कार्यवाही फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** द्वारा द्वारा माह सितंबर 2022 पेटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 135.66 क्विं. गेहूँ, को गबन कर खुर्द बुर्द किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,9,11 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बांसवाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 21.03.2023 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 488/1996 निरस्त किया गया है। डीलर द्वारा माह सितंबर 2022 पेटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 135.66 क्विं. गेहूँ उपभोक्तताओ में वितरण नही कर गबन व खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन कि उक्त मामले में उपलब्ध साक्ष्यो से अदम वाकुवा मामला झुठ का पाये जाने से मामले हाजा मं एफ.आर. नं. 12 दिनांक 09. 02.2024 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मार्फत ए.पी.पी के थाना प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना सदर बांसवाडा द्वारा एफ.आर. पेश की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा द्वारा उक्त एफ.आर को स्वीकृत करने का अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार गबनशुदा 135.66 क्विं. गेहु, की राशि [illegible] 366282/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत [illegible] वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी **श्री लालसिंह/ दौलाजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत सामरिया, भाग प्रथम, तहसील बांसवाडा** से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 135.66 क्विं. गेहु की राशि विभाग अनुसार 366282/– रु अक्षरे रुपया तीन लाख छासठ हजार दो सौ बयासी की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner